मैनुअल संख्या– 3

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया के पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

मैनुअल संख्या– 3

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया के पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

–: विषय सूची :–

क्रम संख्या	विवरण	पेज नं0
3.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये संगठन/ विभाग में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।	25
3.2	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने के स्तरों पर विचार।	25
3.3	लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिये व्यवस्था।	25
3.4	विभिन्न स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जा सकती है।	25
3.5	अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।	25
3.6	मुख्य विषय जिस पर संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।	25

3.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये संगठन/ विभाग में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।
(सचिवालय मैनुअल और विजिनेस मैनुअल के नियमों का उल्लेख किया जा सकता है।)
शासन में निहित है।

3.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने के स्तरों पर विचार।

3.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिये व्यवस्था।

3.4 विभिन्न स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जा सकती है।

3.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।

3.6 मुख्य विषय जिस पर संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	शासन मे निहित है।
दिशा–निर्देश (यदि कोई हो तो)	''
निर्णय लेने की प्रक्रिया	''
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	''
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	''
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	''

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग शासन स्तर से अभिकरण घोषित होने के उपरान्त सम्बन्धित विनियमित क्षेत्रों/ विकास प्राधिकरण क्षेत्रों की महायोजना तैयार करता है। महायोजना पर जनता से प्राप्त आपत्ति/ सुझावों के उपरान्त शासन के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित विनियमित क्षेत्रों/ प्राधिकरणों के द्वारा महायोजना के अनुसार भवन मानचित्रों की स्वीकृति नियमानुसार की जाती है। मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण विनियमित क्षेत्रों में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा किया जाता है और नियत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् मानचित्र स्वीकृत/ अस्वीकृत किये जाते हैं। प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण स्वयम् प्राधिकरण स्तर से किया जाता है। मानचित्रों की फीस भू–खण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है।